न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **19/2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

दिनेश सेन देवरिया बालाजी रोड, रघु बापू के खेत के सामने, टाटा टावर के पास, पथिक नगर भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा
——अपीलार्थी		**——प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 04.04.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 12.03.2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 20.02.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.02.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 19.03.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2019 दिनांक 03.04.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पत्रांक/सूअ/2019/50 दिनांक 21.02.2019 से अपीलार्थी को सूचना निम्नानुसार स्पीड पोस्ट डाक द्वारा प्रेषित कर दी गयी —

1. बिन्दु सं. 01 के संबंध में चाही गयी सूचना व्यक्तिगत है व सूचना का प्रकटन व्यापक जनहित नही दर्शाता है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के तहत सूचना अदेय है।
2. बिन्दु सं. 02 के संबंध में चाही गयी सूचना व्यक्तिगत है व सूचना का प्रकटन व्यापक जनहित नहीं दर्शाता है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के तहत सूचना अदेय है।
3. बिन्दु सं. 03 के संबंध में चाही गयी सूचना कार्यालय में संधारित नही है। अतः सूचना अदेय है।
4. बिन्दु सं. 04 के संबंध में किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या यह क्यों किया गया या क्यों नही किया गया, जो औचित्य पर प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और सूचना का अधिकार में परिभाषित नही किया जा सकता है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नों एवं कार्यवाहियों के औचित्य पर टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नही है।

सूचना प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) (ञ), धारा 11(1) परपक्षीय होने तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ बिलासपुर के निर्णयानुसार एवं भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11.02.20123-I.R.(Pt.) दिनांक 14.08.2013 के अनुसार सूचना देय नही होना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी बिन्दु सं. 01 से लगायत 04 से संबंधित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (ञ), धारा 11(1) के तहत देय नही होने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा